भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2023

क्रमांक 1686/मप्रविनिआ/2023–विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2023) की धारा 181(1) सहपठित उसकी धारा 39(2)(घ), धारा 40(ग) तथा धारा 42(2) एवं 42(3) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2021 {आरजी–24(I),वर्ष 2021}, जिन्हें एतद् पश्चात् **"मूल विनियम"** निर्दिष्ट किया गया है, में संशोधन करने हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :–

**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2021 में तृतीय संशोधन**

**1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :**

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–प्रथम) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2021 {एआरजी–24 (I) (iii) वर्ष 2023}"** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के "राजपत्र" में इनकी प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे।

1.3 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।

**2. मूल विनियमों के विनियम 3 में संशोधन**

**विनियमों 3.3 के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्न परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:–**

"परन्तु यह और भी कि वे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक तथा उपभोक्ता, जिनकी अनुबंधित मॉग या स्वीकृत भार किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के एक ही विद्युत संभाग में स्थित एकल संयोजन (सिंगल कनेक्शन) के माध्यम से 100 किलोवाट या उससे अधिक है या बहुविध संयोजनों (बहुविध कनेक्शनों) के माध्यम से समग्र रूप से 100 किलोवाट या उससे अधिक है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली में परिचालन सीमाबद्धताओं के अधीन, हरित ऊर्जा खुली पहुँच के माध्यम से विद्युत लेने हेतु पात्र होंगे:"

**3. मूल विनियमों के विनियम 13 में संशोधन**

**विनियम 13 के खण्ड 13(ख) के उप–खण्ड (दो) के पांचवे परन्तुक के स्थान पर निम्न परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :–**

"परन्तु यह और भी कि दिसम्बर 2032 तक क्रियाशील की जा चुकी अपतटीय पवन परियोजनाओं से उत्पादित और हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुँच उपभोक्ता को आपूर्ति की गई हरित ऊर्जा के प्रकरणों में अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा :"

आयोग के आदेशानुसार,
**उमाकान्त पाण्डा,** सचिव.